संख्या– 88/2021/1968/छप्पन-2021-42/2008A(1)

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 08 अक्टूबर, 2021

विषय: कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास हेतु करार/आपसी समझौते के आधार पर भूमि के क्रय में निहित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-166/ना0उ0नि0-2021-एस-19/84 दिनांक 20 जुलाई, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन हेतु आबादी श्रेणी-6(2) की भूमि में अवसंरचनायुक्त 0.412703 है0 भूमि तथा फोर लेन कनेक्टिविटी हेतु मार्ग निर्माण हेतु तीन स्थलों के लिए वांछित 0.4970 है0 भूमि लिए जाने/क्रय किये जाने हेतु रू0 7,35,27,936/- (रूपए सात करोड़ पैंतीस लाख सत्ताइस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, कुशीनगर के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन हेतु 12.203 है0 अर्थात् 30.14 एकड़ भूमि के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-50/2021/268/छप्पन-2021-42/ 2008ए(2) टी.सी. दिनांक 26 मार्च, 2021 द्वारा रू0 23,88,27,591/- (रूपए तेईस करोड़ अठ्ठासी लाख सत्ताइस हजार पॉच सौ इक्यानवे मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुशीनगर हवाई अड्डे के प्रचालन हेतु ग्राम भलुहीमदारी पट्टी एवं बेलवा दुर्गाराय के आबादी श्रेणी 6(2) में स्थित अवसंरचनायुक्त 0.412703 है0 भूमि तथा फोर लेन कनेक्टिविटी हेतु मार्ग निर्माण के लिए 0.4970 है0 भूमि को क्रय किए जाने हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 7,35,27,936/- (रूपए सात करोड़ पैंतीस लाख सत्ताइस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रू0 7,35,27,936/- (रूपए सात करोड़ पैंतीस लाख सत्ताइस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) के व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(धनराशि रूपए में)

प्रभावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रभावित क्षेत्रफल (है0 में)	सर्किल रेट के दोगुने के अनुसार देय प्रतिकर	प्रतिकर का एक प्रतिशत निबन्धन शुल्क	प्रतिलिपि एवं मिलान शुल्क	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त की जाने वाल धनराशि
भलुहीमदारी पट्टी	0.342750	47985000	530220	2400	53554236	53554236
बेलवा दुर्गाराय	0.069953	5036616				
भलुहीमदारी पट्टी	0.4570	19210000	197700	2000	19969700	19969700
शाहपुर	0.0400	560000				
शासनादेश संख्या-50/2021/268/छप्पन-2021-42/2008ए(2) टी.सी. दिनांक 26 मार्च, 2021 द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि में से अवशेष प्रतिलिपि एवं मिलान शुल्क की धनराशि				4000	4000	4000
योग	0.909703	72791616	727920	8400	73527936	73527936
धनराशि (शब्दों में)- रूपए सात करोड़ पैंतीस लाख सत्ताइस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र						

शर्तें /प्रतिबन्ध

(1) प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(7) उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-50/2021/268/छप्पन-2021-42/2008ए(2) टी.सी. दिनांक 26 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 7,35,27,936/- (रूपए सात करोड़ पैंतीस लाख सत्ताइस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, कुशीनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजीगत लेखा-"लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-766/दस-2021, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या-88/2021/1968(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, कुशीनगर।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।